

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.
25000

पच्चीस हजार रुपये

Rs.
25000

TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

विक्रय पत्र

विक्रय पत्र अंकन : 38,15,495.00 रुपये।

स्टाम्प पेपर : 2,53,200.00 रुपये।

मैं कि कबूल पुत्र हरपंथ निवासी ग्राम दुर्गियाई परगना दादरी तहसील दादरी य जिला गौधमबुद्ध नगर (फरीक अखिल, विक्रेता)।

मैसर्स उम्पल चव्वा हाईटेक डायलर्स प्रा० लि० 33 कम्यूनिटी सेंटर न्यू फ्रेन्ड्स कालोनी नई दिल्ली द्वारा ब्रिजेश बिश्न पुत्र श्री डी०एस० बिश्न 33, कम्यूनिटी सेंटर न्यू फ्रेन्ड्स कालोनी नई दिल्ली अधिकृत हस्ताक्षरी (फरीक दोषम/क्रेता)।

amgumia

amgumia

જાહેરાત

જાહેરાત નંબર: 2023/2024/100
જાહેરાત નંબર: 2023/2024/100
જાહેરાત નંબર: 2023/2024/100

જાહેરાત નંબર: 2023/2024/100
જાહેરાત નંબર: 2023/2024/100
જાહેરાત નંબર: 2023/2024/100



જાહેરાત નંબર: 2023/2024/100

જાહેરાત નંબર: 2023/2024/100
જાહેરાત નંબર: 2023/2024/100
જાહેરાત નંબર: 2023/2024/100

જાહેરાત નંબર: 2023/2024/100
જાહેરાત નંબર: 2023/2024/100
જાહેરાત નંબર: 2023/2024/100



જાહેરાત નંબર: 2023/2024/100
જાહેરાત નંબર: 2023/2024/100
જાહેરાત નંબર: 2023/2024/100



भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.
25000

पच्चीस हजार रुपये



Rs.
25000

TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

2

विक्रीत भूमि का विवरण

(1) स्थित ग्राम दुरियाई परगना दादरी तहसील दादरी व जिला गौतमबुद्ध नगर (उ०प्र०),
कृषि भूमि खाता नं० 367 के खसरा नं० 153/1 रकबा 0.2940 हेक्टे० के पूर्ण भाग में से 0.
2520 हेक्टे० प्रथम पक्ष मालिक है। अनुसार खतौनी 1417-1422 फसली जिसका फरीक
जब्तल (विक्रेता) पूर्णतया स्वामी व विक्रय अधिकारी संक्रमणीय भूमिधर कागजात दर्ज है, का
बेनामा हाजरा में विक्रय किया जा रहा है।

जय बूनादि

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.
2500
पच्चीस हजार



Rs.



उत्तर प्रदेश UTAR PRADESH

3

(2) विहीत भूमि कृषि भूमि है। जो किसी भी मुख्य मार्ग अथवा लिक मार्ग पर स्थित नहीं है। भूमि मुख्य मार्ग से लगभग 200 मीटर से अधिक दूरी पर स्थित है तथा संक्रमणीय भूमिधरी की भूमि है। जिसका सरकारी लिकल रेट 1,25,00,000/- रुपये प्रति हेक्टेयर है। लेकिन ग्रथन पक्ष ने शीत द्वितीय रक्षा से 1,43,47,200 प्रति हेक्टेयर की दर से अंकन 36,15,495/- रुपये (छत्तीस लाख पन्द्रह हजार चार सौ पचास रुपये मात्र) में तय है और सरकारी रतम्प क्रय मूल्य पर ही अदा किया गया है।

उपस्थित है

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.
25000
पच्चीस हजार रुपये



Rs.
25000
TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

4

(3) विक्रेता अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति से नहीं है। विक्रेता ने इस आद्य का अपना श्रीमान सहस्रीलदार से जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है विक्रीत भूमि ग्राम समाज, भूदान, वक्फ, पट्टे आदि की तथा निश्कान्ति व शत्रु संपत्ति नहीं है और न ही इस पर कोई किसी प्रकार का विवाद है विक्रीत भूमि विक्रय में स्टाम्प अधिनियम की धारा 27(1) का सत्यतापूर्वक अनुपालन किया गया है।

सं. १००/१०१६

SECRET
CONFIDENTIAL

SECRET

CONFIDENTIAL - SECURITY INFORMATION

CONFIDENTIAL - SECURITY INFORMATION

CONFIDENTIAL - SECURITY INFORMATION



CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.
25000
पच्चीस हजार रुपये



Rs.
25000
TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

5

- (4) विक्रेता ने विक्रीत भूमि का प्रमाणित खसरा, खतौनी व अपना जाति प्रमाण पत्र, पहचान पत्र व विक्रीत भूमि से संबंधित बारह साला प्रमाण पत्र भी विक्रय पत्र के साथ संलग्न किया है।

लक्ष्मी चंदा दे

July



भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.
25000
पच्चीस हजार रुपये



Rs.
25000
TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

6

(5) विक्रीत भूमि उक्त आज दिन तक मुज फरीक अव्वल (विक्रेता) की ओर से हर प्रकार के बन्धक, भार व सरकारी देनदारी आदि से मुक्त है। कही अन्य जगह आरु, रहन, भय, हिबै, महायदाबय व जमानत सरकारी व अर्द्धसरकारी व निजी रूप आदि में ग्रस्त नहीं है। और न उक्त पर कोई बैंक ऋण व बिजली या अन्य किसी प्रकार का डयूज है। इस विक्रय

करवून नि ६

Endy



भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.
25000

पच्चीस हजार रुपये

Rs.
25000

TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

7

भूमि से संबंधित किसी भी प्रकार का विवाद—ग्रस्त मामला किसी भी न्यायालय व सरकारी व अर्द्धसरकारी विभाग/कार्यालय में न तो दर्ज है और न ही लम्बित है। और न ही किसी निर्णीत आदेश का क्रियान्वन ही लम्बित है।

कराबुल कि है

सुनी



भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.
25000

पच्चीस हजार रुपये

Rs.
25000

TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

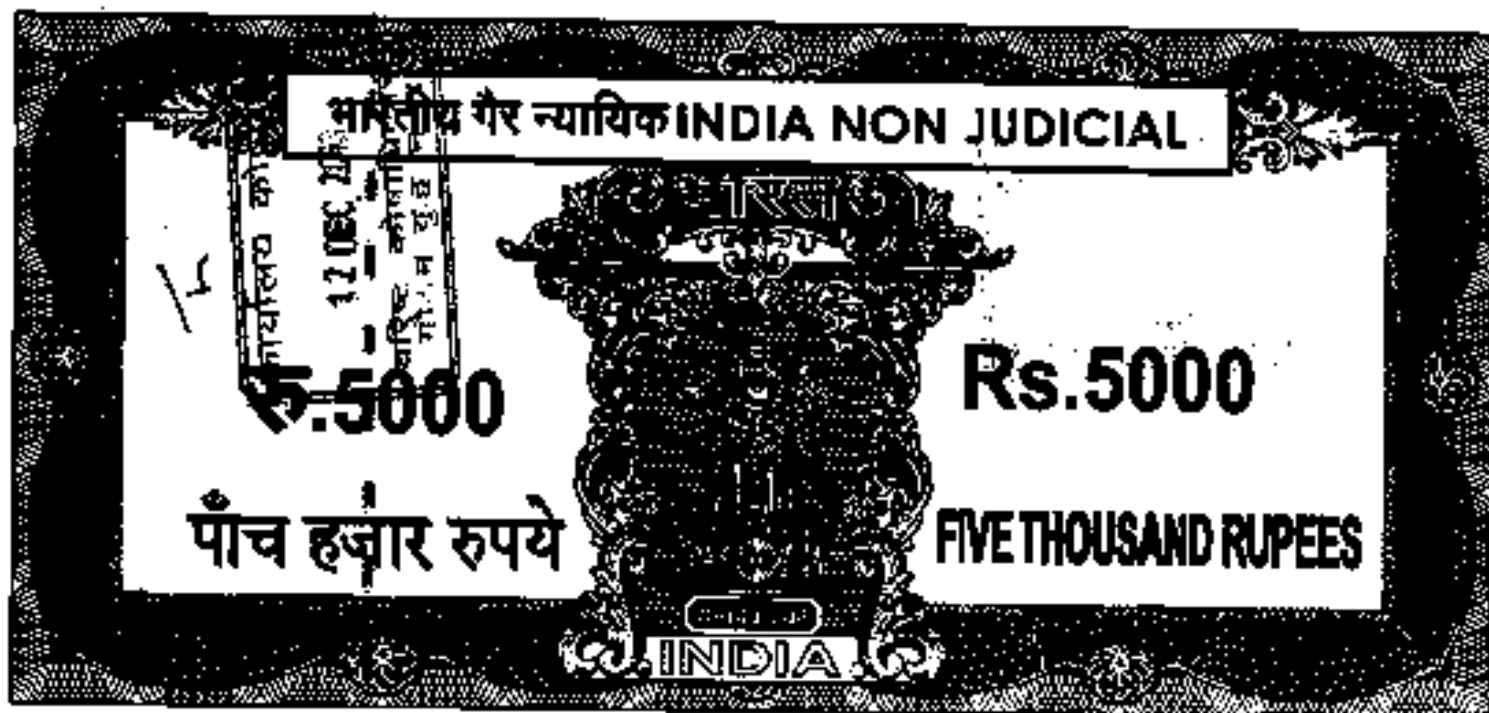
8

- (6) विक्रीत भित्तीयत उक्त के विक्रय में कोई दोष या त्रुटी नहीं है हर प्रकार के बाद विवाद से मुक्त है उपरोक्त वर्णित/उल्लिखित भूमि के संबंध में मुझ विक्रेता ने किसी अन्य व्यक्ति, कम्पनी आदि के हक में कोई मौखिक करार, वसीयतनामा व विक्रय अनुबंध पत्र, विक्रय पत्र, किसी भी कार्यालय में पंजीकृत व अपंजीकृत, पूर्व में न तो निरपादित किया है

अनुमोदित है

अथ





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

अगर न ही कसया है तथा न मोटरी द्वारा सत्यापित हुआ है। यदि नविश्य में इस संभव में कोई भी पसीयतनामा, विक्रय अनुबंध/विक्रय पत्र प्रस्तुत करके विवाद उत्पन्न किया जाता है तो वह विवाद अमान्य व निश्रमायी होगा। तथा इसके जिम्मेदार फरीक अव्वल व उनके वारिसान होंगे।

महमूद

Pravil



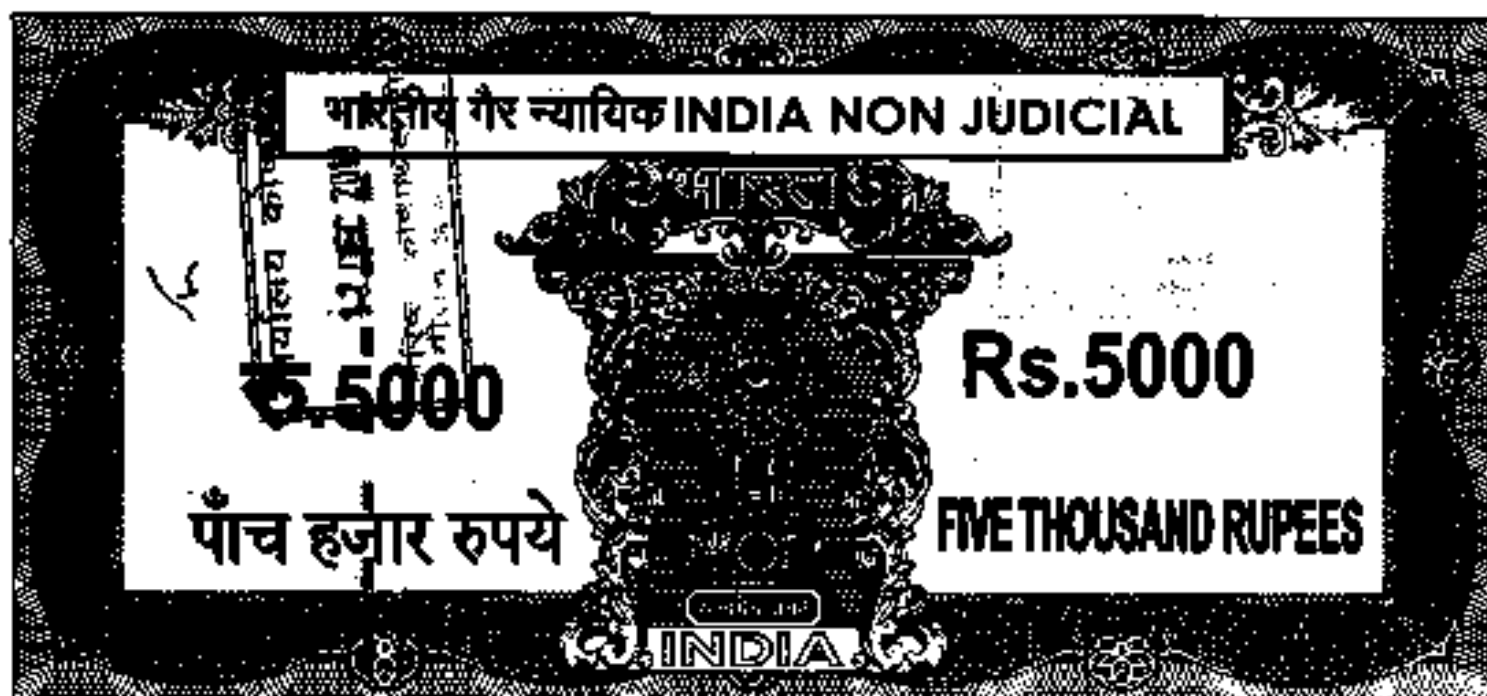
2013

सर्वोदय

कोषागार गीतम बुद्ध नगर *

Only





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

नं. 15821

10

(7) मुझ विक्रेता को विक्रय पत्र में वर्णित छत्त खाता नं० 387 के खासरा नं० 153/1 रकबा 0.2840 हेक्टे० के पूर्ण भाग से से 0.2520 हेक्टे० स्थित ग्राम बुरियाई परगना दादरी तहसील व जिला गीतमबुद्ध नगर के अपने हिस्से पूर्ण भाग को बेचने का स्वतन्त्र अधिकार पूर्णतः प्राप्त है। मुझ विक्रेता को वास्ते तरस्की काफ्त एंव अन्य निजी आवश्यकता हेतु पैसों

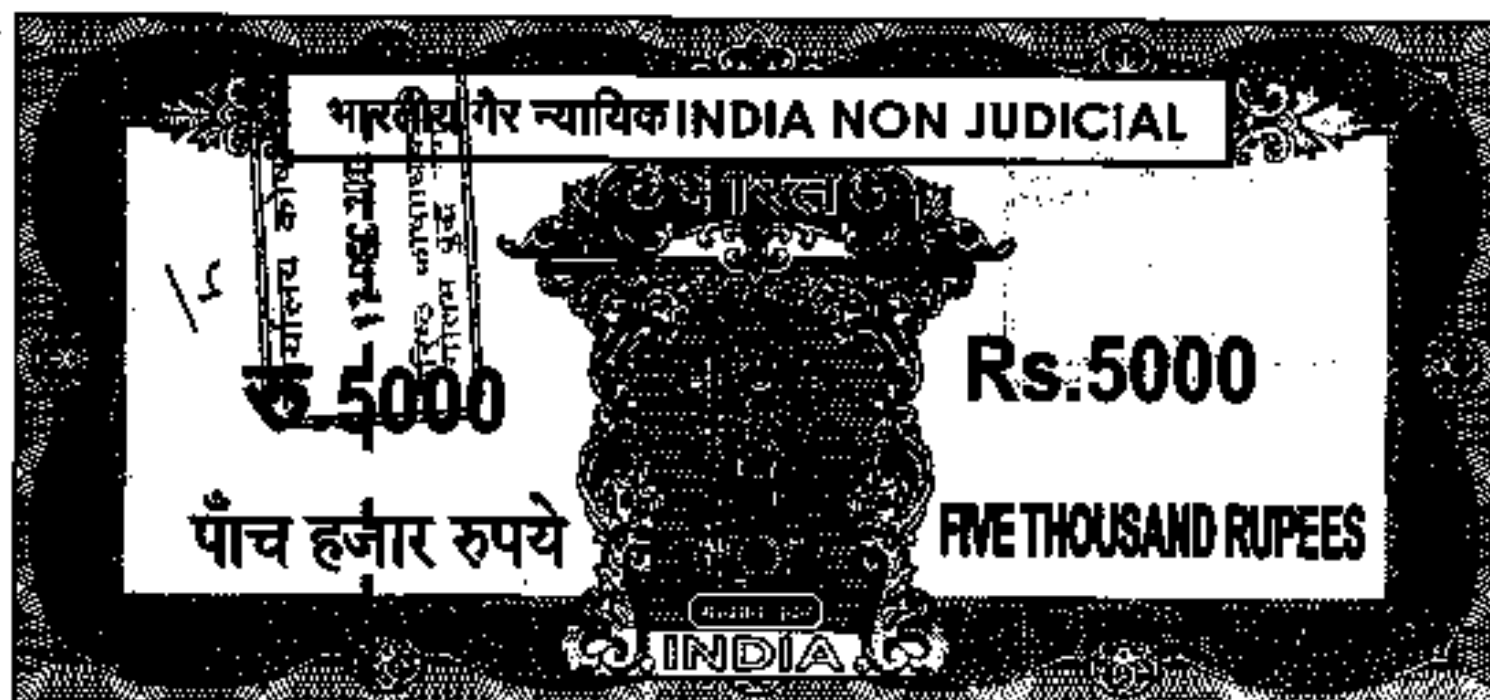
म. मूलकिट

12.12.2018

क्रमांक	१२३
दिनांक	१२/३
स्थान	गोपालपुर
व्यक्ति	गोपालपुर

Guly





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

10/11/2000

11

की आवश्यकता है तथा मुझे अपनी उक्त भूमि की उचित कीमत क्रेता से मिल रही है। अतः मुझ विक्रेता ने अपनी खुशी से बिना किसी दबाव व धमकाव के, बरजामंदी, मुद्रा कुट्टि व स्वस्थ इच्छियों की दशा में अपने पारिवारिक समिति से मय समस्त अधिकार मालिकाना, काबिजाना, दाखिली-खारिजी, कास्त भराई, हर किसम कब्जा गर्ज के जो कुछ भी अधिकार मुझ विक्रेता को विक्रीय भूमि से प्राप्त थे उससे कुछ बचा हुआ नहीं रहा है आदि आवि को आज की

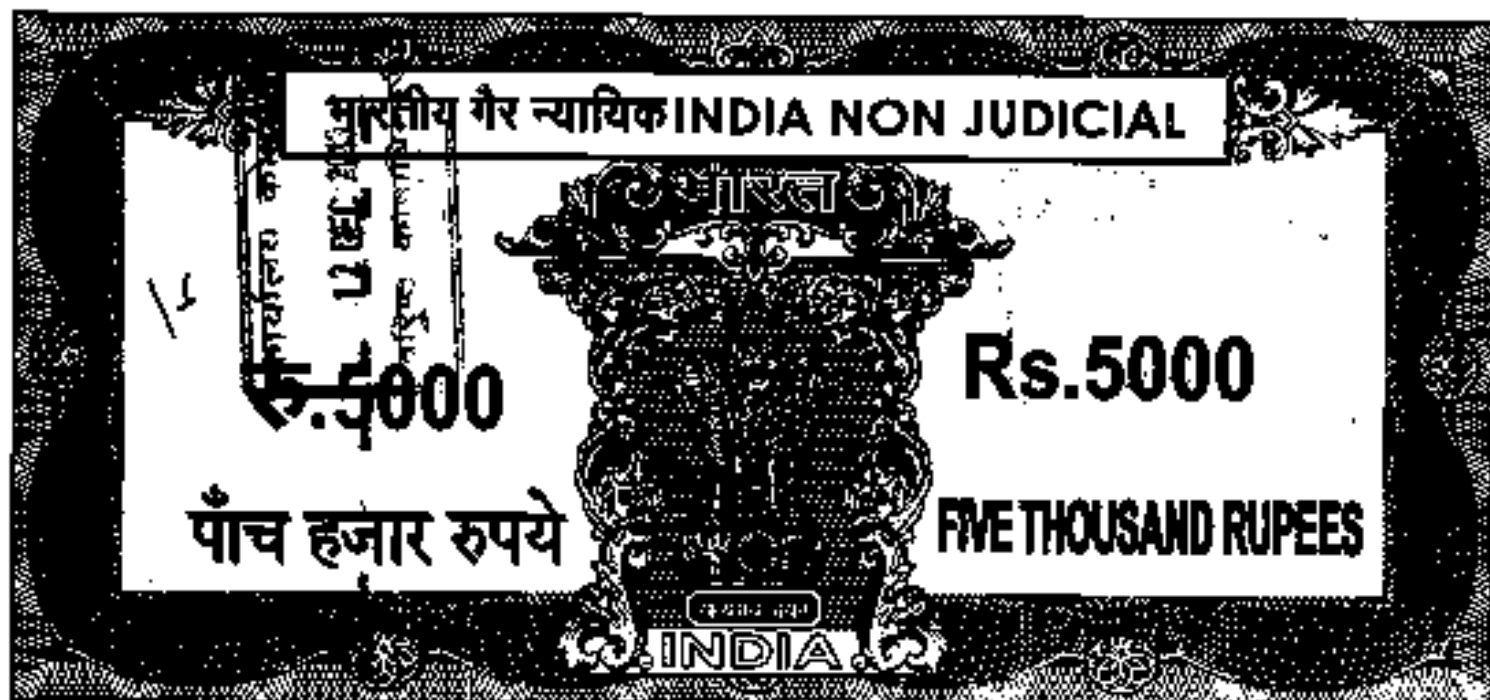
क. सुलकिट

10/11/2000

नं. ४२३३
 दिनांक १०/१२/७३
 ७०१३
 रोजगारी
 * कोबागार भीमसुन्द नगर *

Guty





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

12

तारीख में विक्रय धनराशी अंकन 38,15,495/- रुपये (कत्तीस लाख पन्द्रह हजार चार सौ पचास रुपये मात्र) जिसके साथ अंकन 18,07,747.80/- (अठारह लाख सात हजार सात सौ सैततालीस रुपये पचास पैसे मात्र) होते हैं के एवज में बहाय फरीक दोयम क्रोता उपरोक्त मैसर्स सम्पल चढ़ा हाईटेक इण्डिया प्रा. लि. 33 कम्युनिटी सेंटर न्यू फेन्डस

म. म. म. म. म.

म. म. म. म. म.

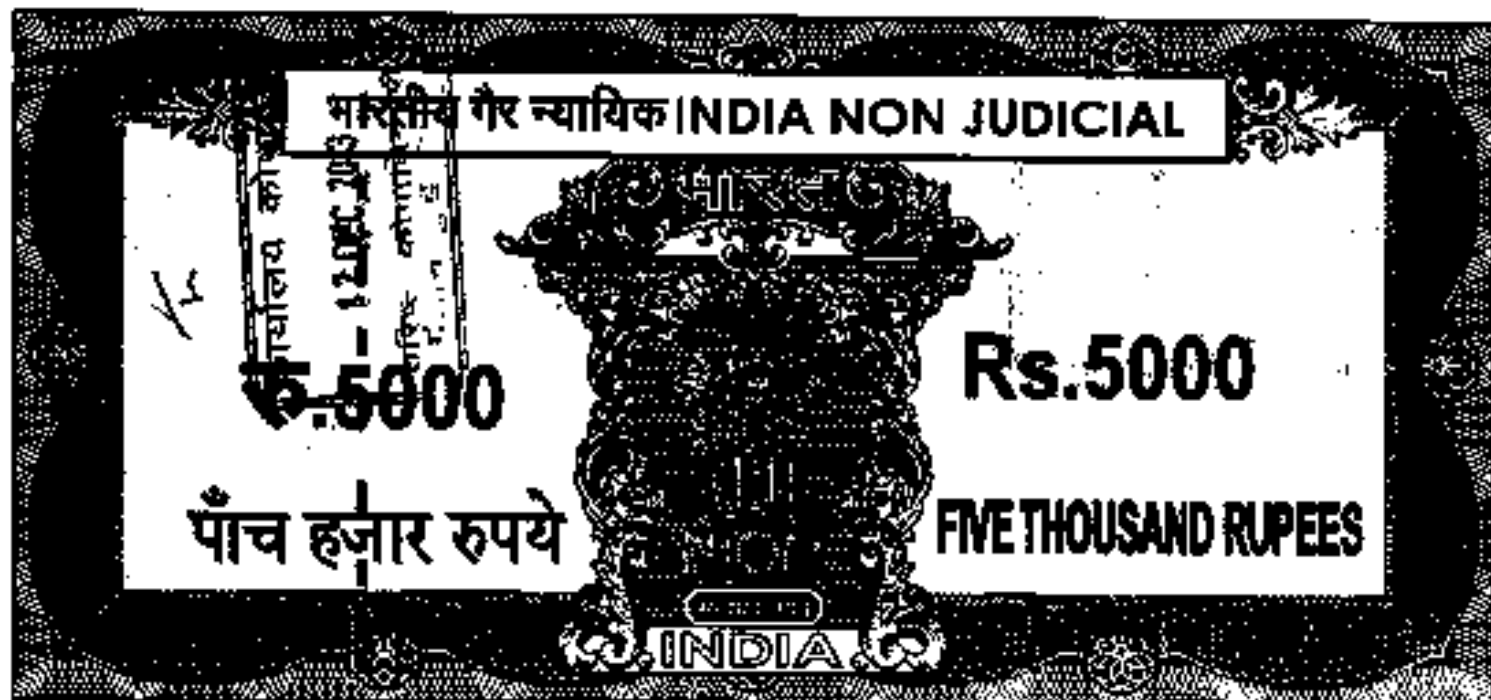
म	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	१८	१९	२०	२१	२२	२३	२४	२५	२६	२७	२८	२९	३०	३१	३२	३३	३४	३५	३६	३७	३८	३९	४०	४१	४२	४३	४४	४५	४६	४७	४८	४९	५०	५१	५२	५३	५४	५५	५६	५७	५८	५९	६०	६१	६२	६३	६४	६५	६६	६७	६८	६९	७०	७१	७२	७३	७४	७५	७६	७७	७८	७९	८०	८१	८२	८३	८४	८५	८६	८७	८८	८९	९०	९१	९२	९३	९४	९५	९६	९७	९८	९९
---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

विषय: २०१३

कोषाध्यक्ष

कोषाध्यक्ष गोपाल चन्द्र शर्मा





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

3N 108410

13

कालौनी नई दिल्ली पैन नंबर AAACU7200M द्वारा त्रिजेष बिश्न पुत्र श्री डी0एस0
बिश्न 33, कम्युनिटी सेंटर न्यू फेन्डस कालौनी नई दिल्ली अधिकृत हस्ताक्षरी को

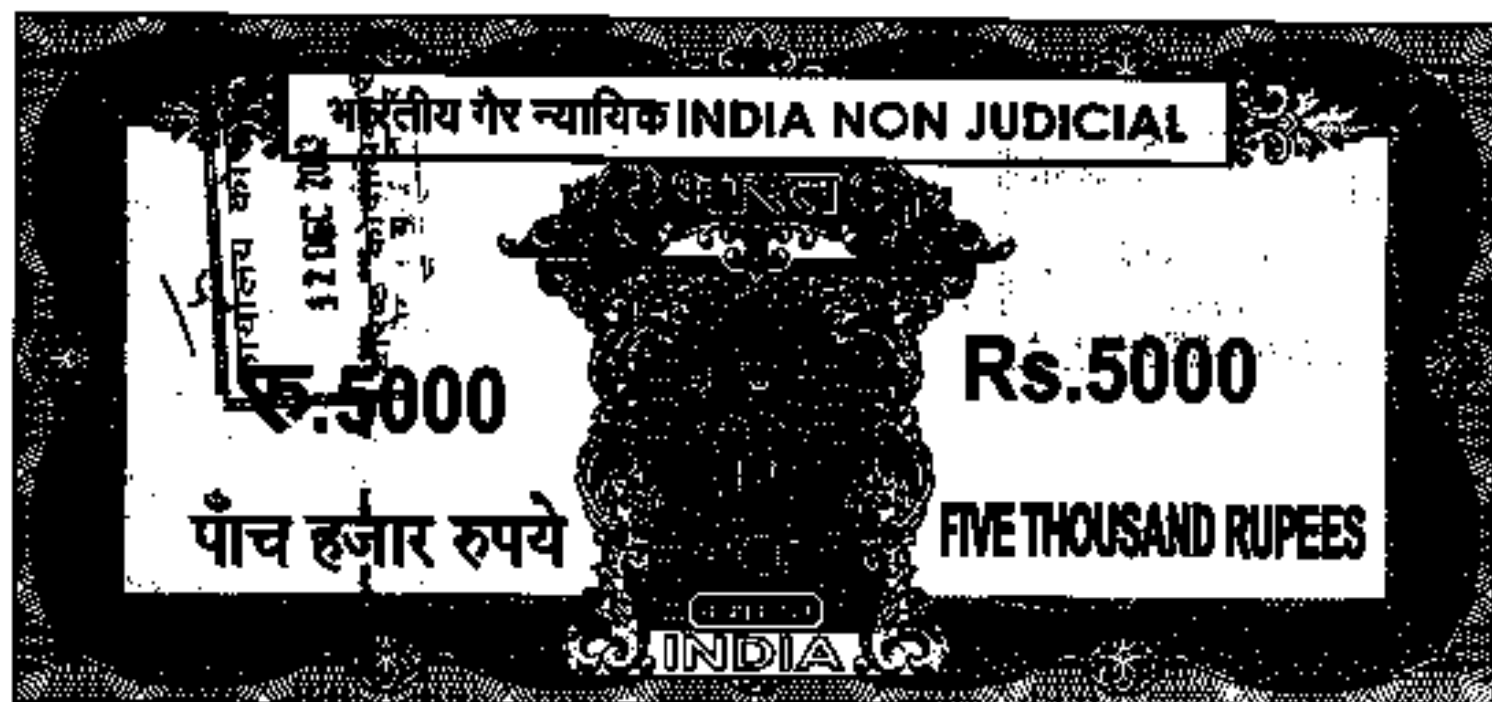
म. सु. म. वि. २५

13/12/03

विस्थापन :	से शामिल
2013	
सोमवृत्ति	
कोषागार	सोमवृत्ति

सोमवृत्ति





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

अ. नं. 1284/13

14

बैठ कर दिया है यानि कतई बेच दिया है और भूमि की कुछ विक्रय बनराही मुझ विक्रेता ने
 कोटा से प्राप्ता कर लिया है। अब कुछ भी विक्रय बनराही बाकी नहीं रही है।

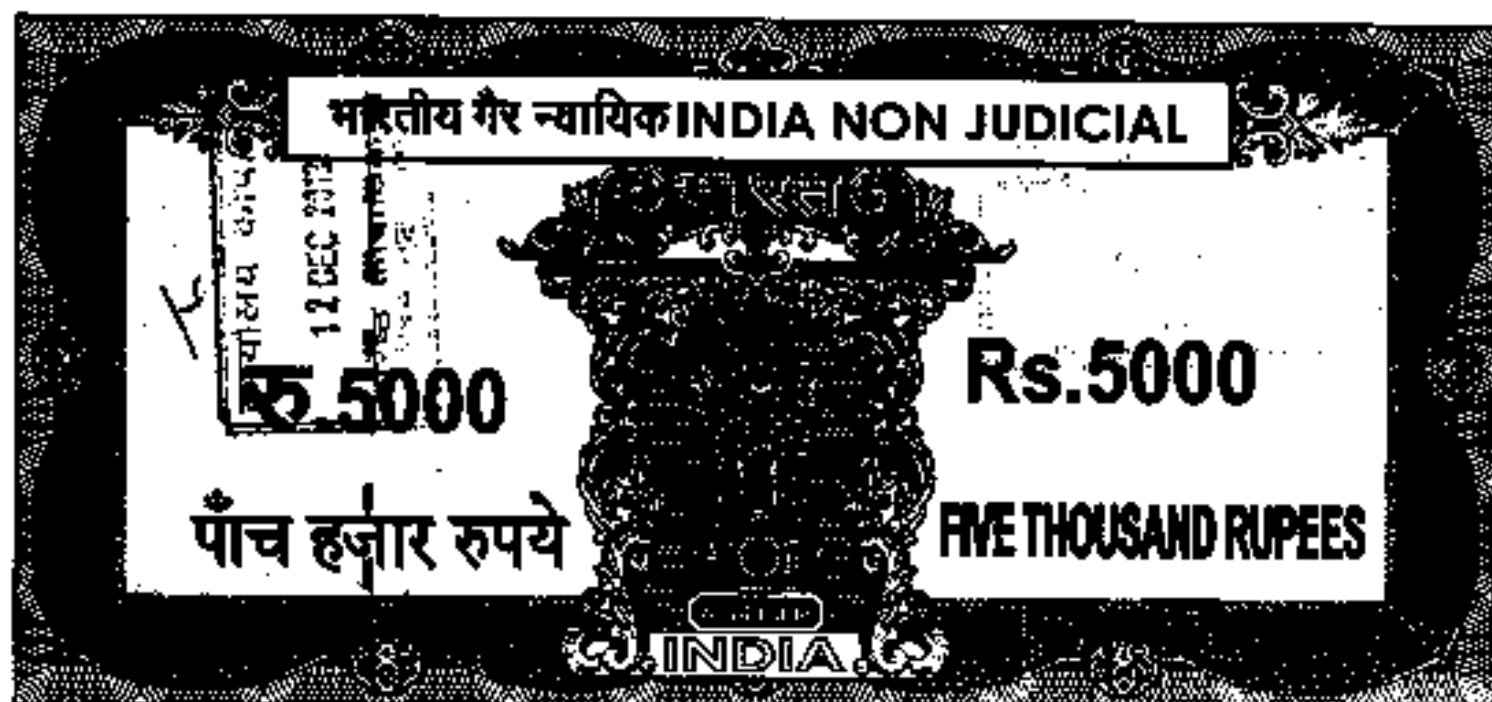
अ. नं. 1284/13

अ. नं. 1284/13

व. नं. १०१/२०१३
 दिनांक ०५/०५/२०१३
 १०१३
 राजस्थान
 लोकपाल
 राजस्थान लोकपाल

१०१३





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

12 DEC 2012

15

(अ) विक्रय भूमि का फक्का मौके पर लेता का पूर्ण वास्तविक रूप से कर दिया है जिसके लेता पूर्णतः मालिक काबिज दाखिल बन गये है उनको सर्वथा अधिकार है कि वह उक्त भूमि को जिस प्रकार चाहे बड़े-सिद्ध मालकाना प्रयोग में लावे।

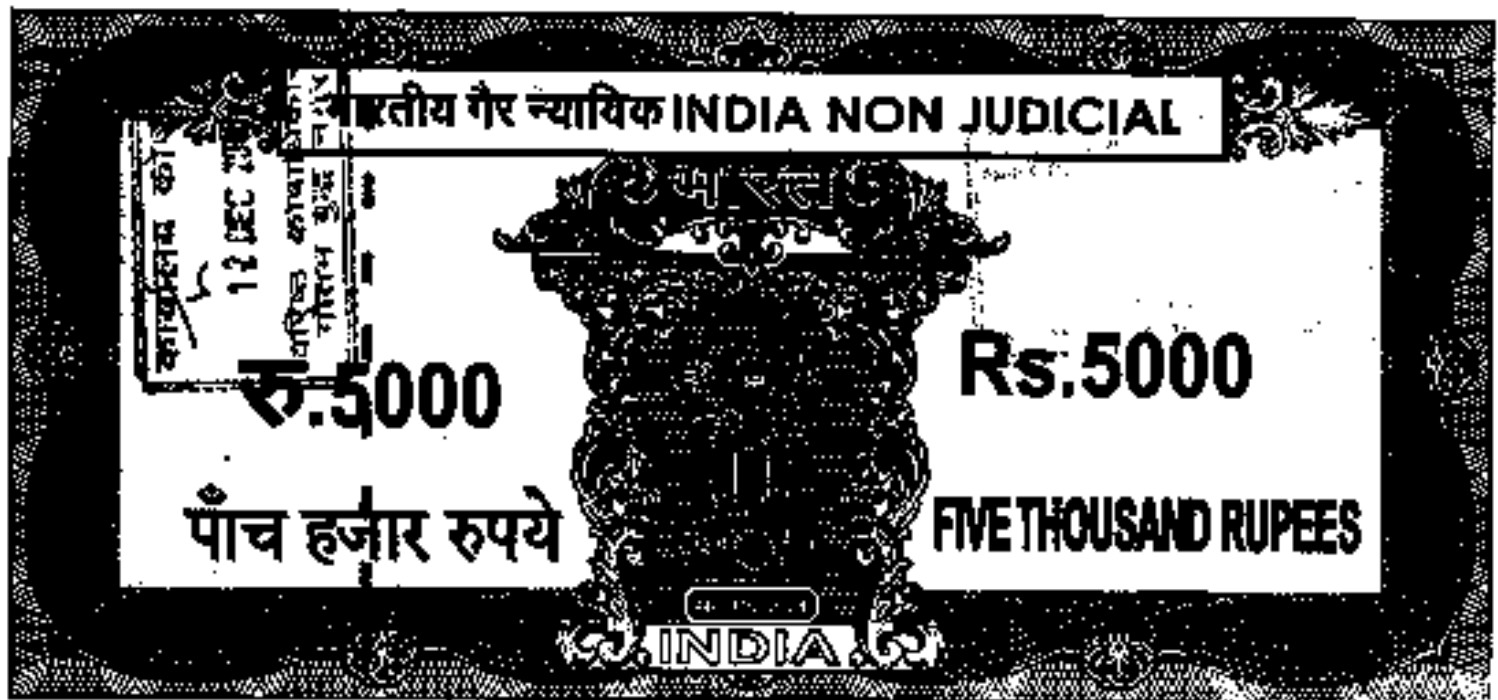
म. ल. म. शि. ३

12/12/12

क्रिया गरी	से शामिल
7013	
पंकजिदा	
क्रीडागार	गोलाय मन्द मन्द *

For





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

04/12/2011

16

(9) विक्रेता, विक्रीत भूमि की वास्तु समस्त कागजात में ब्यवस्थित बैकाला दाखिल खारिज मालकागजात में कराकर क्रैता का नाम दर्ज करवायेना या वो स्वध दर्ज करवा सकते है तथा

अ. भू. म. 1/1/12

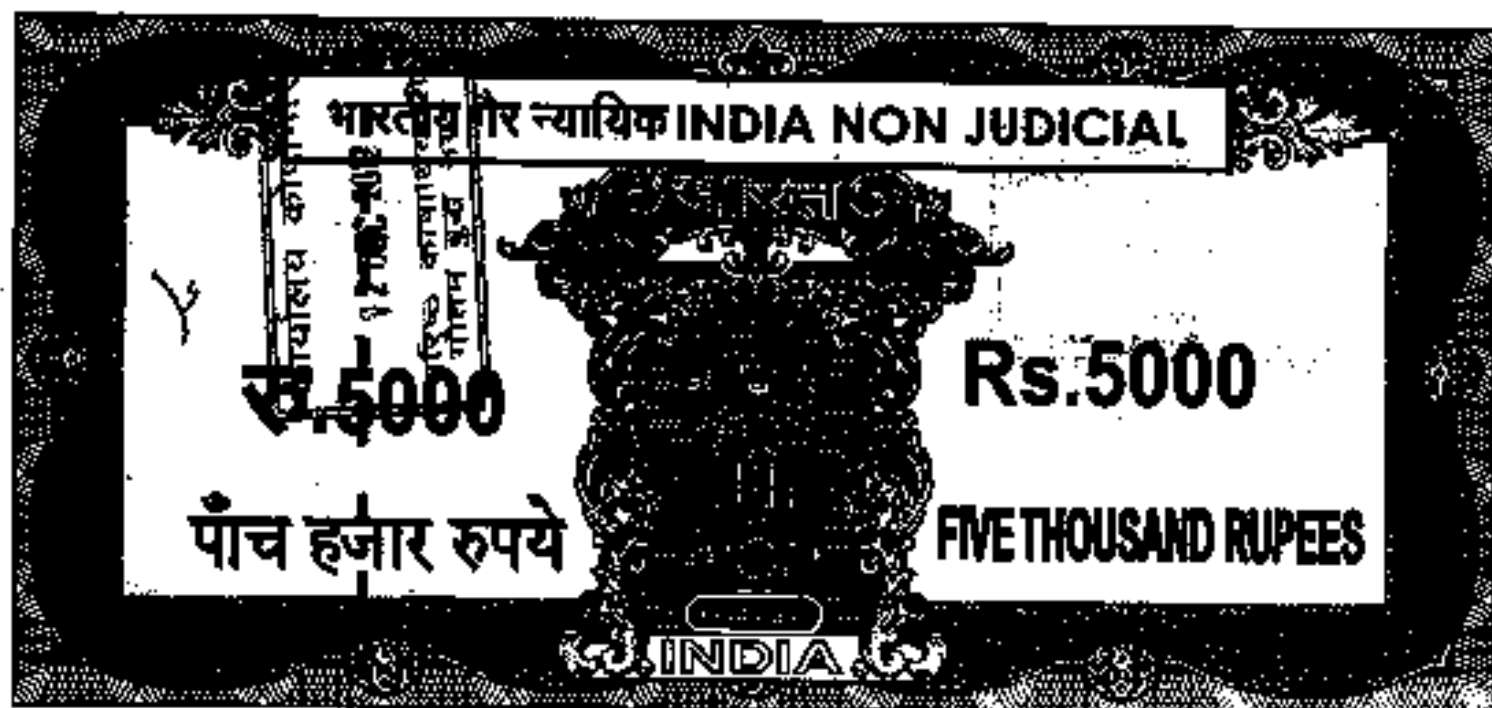
Rm 11



क्रमांक ४०
२०१३
रजिस्ट्रार
कोषागार भीम नगर *

July





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

17

अवश्यक प्रपत्रों पर जहाँ चाहे हस्ताक्षर मुद्रा फरीक अक्वल से कर सकते हैं, मुद्रा फरीक अक्वल को कोई एतपज नहीं होगा।

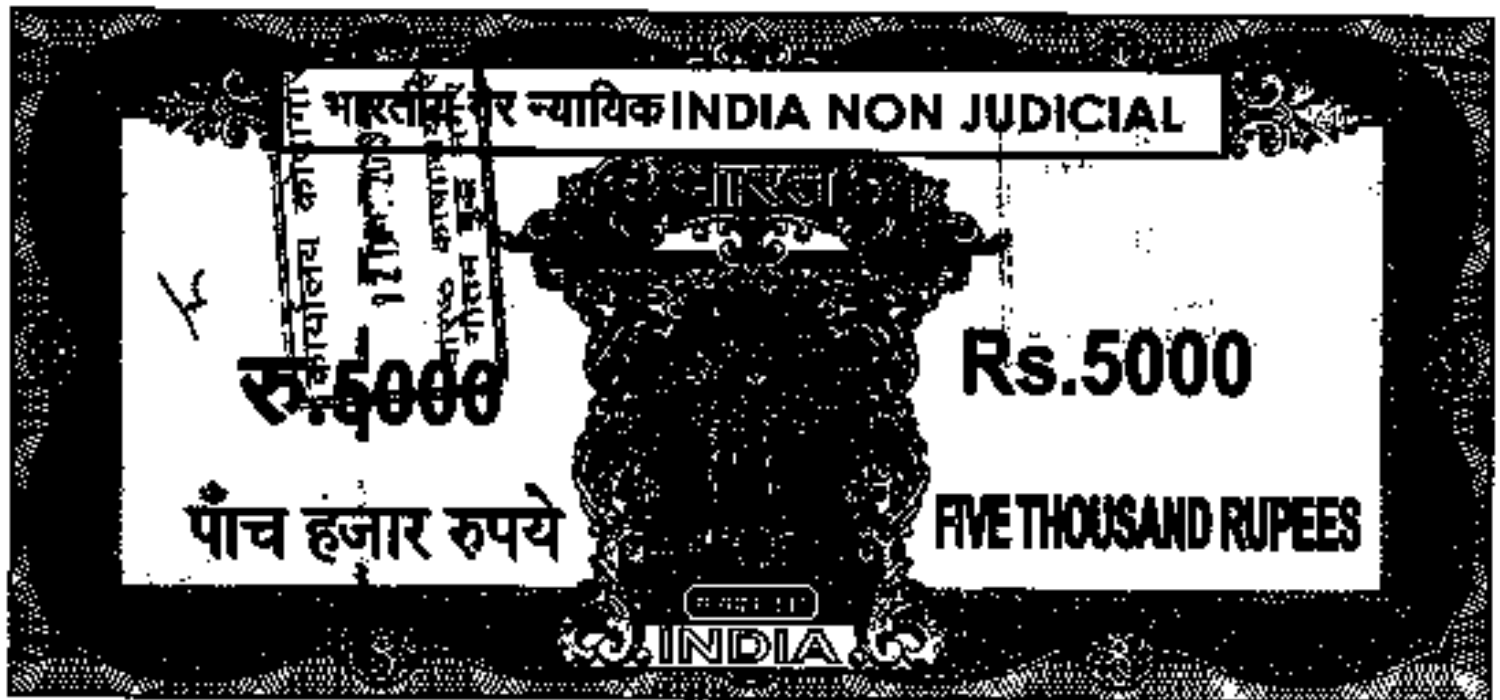
Handwritten signature

Handwritten signature

दिनांक	से शास्त्र
१३	
कोषागार	संख्या

July





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

१०/११/१९८०

18

(18) अतः अब विक्रय पश्चात् विक्रीत भूमि की मिलवियत भूमि में निहित हिट व चसके मूल्य धन तथा किसी अन्य से विक्रेता व पारिजान विक्रेता का, अब कोई संबंध बाकी नहीं रहा और नष्टकामी रहेगा।

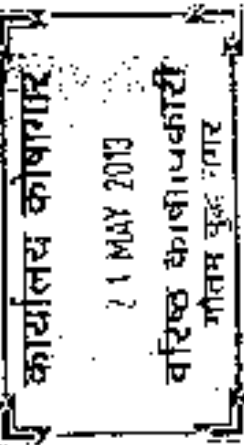
अ. सु. ११/८०

अ. सु. ११/८०

१०१३
 १०१३
 १०१३
 १०१३

१०१३





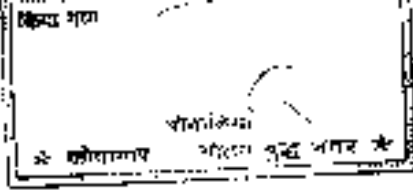
उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

19

(11) विक्रीत भूमि पर आज दिन तक फरीक अव्वल/विक्रेता की ओर कोई भार निकला और निकला हुआ भार क्रेता या स्थानापन को अपने पास से अदा करना पडा अथवा विक्रेता के अनाधिकार से या वारिसान विक्रेता की दायेदारी या किसी कानूनी नुक्स आदि से विक्रय भूमि

अनुमति है.

20/6



सुख



कार्यालय कोषागार

21 MAY 2013

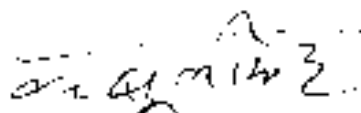
नरिष्ठ कायागकारी
गौतम बुद्ध नगर



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

20

कुल अथवा कोई अंश क्रेता या उसके वारिसान या स्थानापन के कब्जे मालकाना से निकल जाये, वे हर ऐसी दशा के उत्पन्न होने पर फरीक अव्वल/विक्रेता व उसके उत्तराधिकारीगण पूर्ण रूपसे जिम्मेदार होंगे तथा क्रेता व उसके स्थानापन व





UPSA (UNIVERSITY PRAKASHAN) LTD.
22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100

Guly

2000

कार्यालय कोषागार

11 MAY 2013

वर्तमान काषागार
महाम बुद्ध नगर

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

21

उत्तराधिकारीगणों को पूर्ण अधिकार होगा कि अपने पास से अदा किये गये भार की तथा
कच्चे से निकल जाने वाली भूमि की धरणी को मय हर्ज खर्च प्रथम पक्ष विक्रेता व विक्रेता

जयपुरी

कार्यालय कोषागार

21 MAY 2013

वारिसानकी

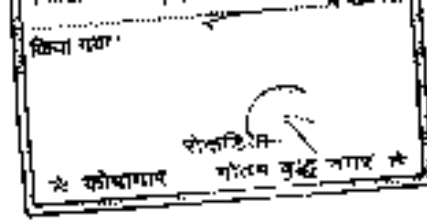
गौतम बुद्ध नगर

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

22

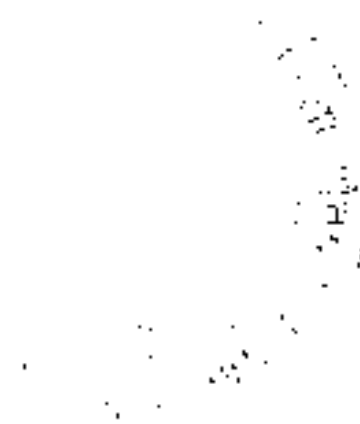
वारिसानकी चल व अचल सम्पत्ति से जिस प्रकार चाहे वसूल करा सकते हैं जिस पर फरीक
अव्वल/विक्रेता को कोई आपत्ति नहीं होगी।

अनुमोदित



संस्कृत-विद्या

Gay



कार्यालय कोषागार

21 MAY 2013

वरिष्ठ कोषागार

भौतम बुद्ध

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

23

(12) विक्रय पत्र का शमरत खर्चा क्रेता ने वहन किया है।

(13) अतः यह विक्रय पत्र खूब सोच समझ कर, सुनकर पढ़ कर गवाहों की उपस्थिति में लिख दिया गया कि प्रमाण रहे और समय पर काम आवे।

लक्ष्मी



पारस प्रसन्न, १०, बंगला, बंगलूर
२०००००, बंगलूर

Gulab



कार्यालय कोषागार

21 MAY 2013

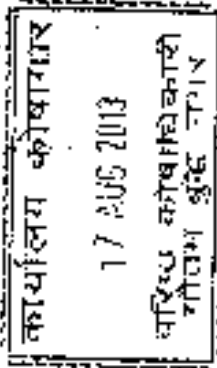
वरिष्ठ कोषाध्यक्ष
गीतम बुद्ध नगर

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

24

(14) विक्रोता ने विक्रीत भूमि रकबई 0.2520 हेक्टेयर, खाता नं० 387 के खसरा नं० 153/1 स्थित ग्राम दुरियाई परगना दादरी तहसील दादरी व जिला गीतमबुद्ध नगर के निम्न विवरण के अनुसार विक्रय धनराशी प्राप्त कर ली है:-

रु० १००००/-



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

25

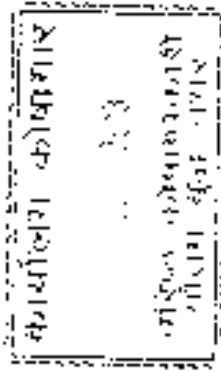
(15) यष बैंक लि० नई दिल्ली बैंक नं० 602556 अंकन 29,18,295/- रुपये (उनसीस लाख अठारह हजार दो सौ पितानवे रुपये मात्र) दिनांकित 20.01.2014 व अंकन 6,97,200/- रु० (छ लाख सत्तानवें हजार दो सौ रुपये मात्र) नगद फरीक अखल द्वारा अंतिम रूप से प्राप्त कर ली गयी है।

जय श्री गुरुदेव

क्रि.सं. १५५
 १७ APR १९८८
 रीकॉर्डिंग
 लोकायुक्त न्यायालय
 नैनीताल

G. S.





[Handwritten signature]



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

26

(हस्ताक्षर/निशानी अंगूठा)
फरीक अन्वज (विक्रेता)

(हस्ताक्षर/निशानी अंगूठा)
फरीक दोयम (ब्रेता)

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

मकसद नं० 1 *[Handwritten signature]* *[Handwritten signature]* *[Handwritten signature]*
[Handwritten signature] *[Handwritten signature]* *[Handwritten signature]*

मकसद नं० 2 *[Handwritten signature]* *[Handwritten signature]* *[Handwritten signature]*
[Handwritten signature] *[Handwritten signature]* *[Handwritten signature]*

तहसील दिनांक 15/01/2014 मसौदाकर्ता- शिवराज सिंह नागर एडवोकेट
तहसील बाघरी जिला गौतमबुद्धनगर

[Handwritten signature]

पं. ५३३ नं. १८५
 दिनांक १८/५/१९८३
 १७६३
 से.सं.क्रिया
 कोषागार मोलम बुट्ट नगर

दादरी बार एसोसिएशन, गौतम बुद्ध नगर
 कल्याण कोष
 क्रम सं० १७७
 नाम प्रस्तुत कर्ता

सं. दिनांक १२/०१/२०१९ नं.
 पृष्ठ नं. १ पृष्ठ नं. ६४०८
 पृष्ठ नं. २४३ नं. २५८ पृष्ठ नं. ७२१
 पृष्ठ नं. ७२१

गौतम बुद्ध नगर, काठमाडौं

१८/५/१९८३
~~ओ.के. सिंह~~
 उपाध्यक्ष दादरी
 दादरी
 १८/५/१९८३



शपथ पत्र

मैं कल्लू ललित पुत्र हरकृष्ण निवासी दुर्गापुर तहसील दुर्गापुर
जनपद शिवगढ़ शपथपूर्वक
घोशणा करता हूँ कि:

1. खाता सं० 367 खसरा सं० 153 रकबई 0.1520 स्थित ग्राम दुर्गापुर
तहसील दुर्गापुर व जनपद शिवगढ़ का संक्रमणीय
भूमिधर हूँ। इस भूमि पर मेरा कब्जा है मैं इस भूमि का विक्रय स्वेच्छा से कर रहा
हूँ।
2. इस भूमि पर मालिकानाहक के सम्बन्ध में कोई वाद किसी भी न्यायालय में
लम्बित नहीं है।
3. इस भूमि पर किसी भी बैंक का या अन्य कोई लोन चेश नहीं है। इस भूमि को
कहीं पर रهن/गिरवी नहीं रखा गया है।
4. बैनागा होने पर इस भूमि का कब्जा क्रेता कम्पनी को करा दूंगा। कब्जे को लेकर
भविष्य में कोई विवाद उत्पन्न नहीं करूंगा और न ही कोई अनाधिकृत जैसे
प्लॉट की मांग, आबादी छुड़वाने या किसी प्रकार अन्य मुआवजे आदि की मांग
करूंगा।

कल्लू ललित
शपथकर्ता

क्रमांक ५५

स्थान: ...

दिनांक: ...

...

दस्तावेज

...

...

प्रमाणित किया जाता है कि ...

...

...

...

...

पचास

₹ 50

FIFTY
RUPEES

₹ 50

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

समझौता पत्र

मैं/मैंकी निवासी कमल सिंह पुत्र/पति हर राम
दुर्गाई

प्रथम पक्ष

एवं

मैसर्स जम्पल चट्टा हाईटेक डवलपर्स प्रा० लि०, 33, कम्युनिटीसेंटर, न्यू फ्रेंड्स कालोनी, नई दिल्ली द्वारा विजय सिंह पुत्र श्री श्री 555 किहर
अधिकृतहस्ताक्षरी

द्वितीय पक्ष।

विदित हो कि प्रथम पक्ष ने अपनी भूमि स्थित ग्राम दुर्गाई परगना डासगा तहसील व जिला गाजियाबाद। का रकबा नं० 367 के खसरा नं० 1531 रकबा 0.25.25 हैक्टेड का बैनागा द्वितीय पक्ष के पक्ष में कर रहा है। उक्त बैनामें में द्वितीय पक्ष द्वारा प्रथम पक्ष की सहमति से आबादी के लिये रकबा हैक्टेड छोड़ के बैनागा किया गया है उक्त छोड़े गये रकबे के सम्बन्ध में दोनों पक्षों की सहमति से यह समझौता पत्र निरधारित किया जा रहा है जिसकी धर्तेनिम्न है।

1. यह कि बैनामें में आबादी के लिये छोड़ा गया रकबा दोनों पक्षों को मान्य है।
2. यह कि द्वितीय पक्ष भविष्य में आबादी के लिये छोड़े गये रकबे के बदले में प्रथम पक्ष को अपनी योजना क्षेत्र में क ही भी आबादी दे सकता है प्रथम पक्ष को मान्य होगा।

नरसिंह

.....

.....

दयादण्ड

दि. 18/10/2024

तहसील पालिका, धनकुटा

.....

1. निरुद्धता

31/10/2024

गौरीगुप्तनगर

पचास

रुपये

रु. 50

फifty
RUPEES

RS. 50

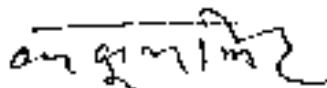
उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

(2)

3. यह कि आबादी के लिये बैनामों में छोड़े के रकबे और मौके पर दिये जाने वाले रकबों में यदि कोई अंतर होगा तो उसका मूल्यांकन आज के मूल्य के अनुसार दोनों पक्षों को मान्य होगा।
4. यह कि द्वितीय पक्ष द्वारा मदिश्य में प्रथम पक्ष का आबादी के लिये जो रकबा दिया जायेगा उसके अन्तर्ण के लिये होने वाली EXCHANGE DEED या किसी प्रकार के दस्तावेज को निश्पादित करने के लिये प्रथम पक्ष बाध्य होगा। यदि प्रथम पक्ष द्वारा उक्त दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने में कोई हिताश्वस्ती की जाती है तो द्वितीय पक्ष को अधिकार होगा कि वह जरिये अदालत उक्त बैनामा निश्पादित करा लें।
5. यह कि द्वितीय पक्ष द्वारा प्रथम पक्ष को उक्त बैनामों में छोड़े गये रकबे के बदले में जो आबादी दी जानी है उसके लिये कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है। यह पूर्णतः द्वितीय पक्ष के उपर निर्भर करता है। प्रथम पक्ष को कोई एतराज नहीं होगा।
6. यह कि उक्त समझौता पत्र की समस्त शर्तें दोनों पक्षों को मान्य होंगी इसमें किसी भी प्रकार का फेरबदल करने का अधिकार किसी पक्ष को नहीं होगा।

अतः एव यह समझौता पत्र समस्त गवाहन लिख दिया ताकि सनद रहे और भविष्य में काम आवे।

प्रथम पक्ष-



द्वितीय पक्ष-

गवाह नं० 1

गवाह नं० 2

[illegible]

पचास

रुपये

रु ५०

FIFTY
RUPEES

RS. 50

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

48 503796

अनुबन्ध पत्र

यह अनुबन्ध पत्र आज दिनांक 15/1/14 स्थान दादर में श्री कमल सिंह पुत्र/पति हरदयाल निवासी ग्राम दुर्गापुर परगना दुर्गापुर तहसील दुर्गापुर व जिला दुर्गापुर

प्रथम पक्ष

एवं

भौ 3 एकर दादर दुर्गापुर पंजीकृत कार्यालय 33 कम्युनिटी सेंटर न्यू फ्रेड्स कॉलोनी, नई दिल्ली द्वारा दुर्गापुर दुर्गापुर

द्वितीय पक्ष

विदित हो कि प्रथम पक्ष ग्राम दुर्गापुर परगना व तहसील दुर्गापुर जिला दुर्गापुर में स्थित भूमि खाल सं० ५० खसरा सं ५० कुल रकबा ५० हैक्टेयर (अपने सम्पूर्ण भाग) का संक्रमणीय भूमिधर मालिक, काबिज है। राजपत्रों में उक्त भूमि पर प्रथम पक्ष का नाम दर्ज है कोई अन्य व्यक्ति उक्त भूमि में किसी प्रकार का हकदार व हिस्सेदार नहीं है। उक्त भूमि पर अविभाजित परिवार का या कोई अन्य पारिवारिक वाद विवाद या कोई केस नहीं चल रहा है।

कमल सिंह

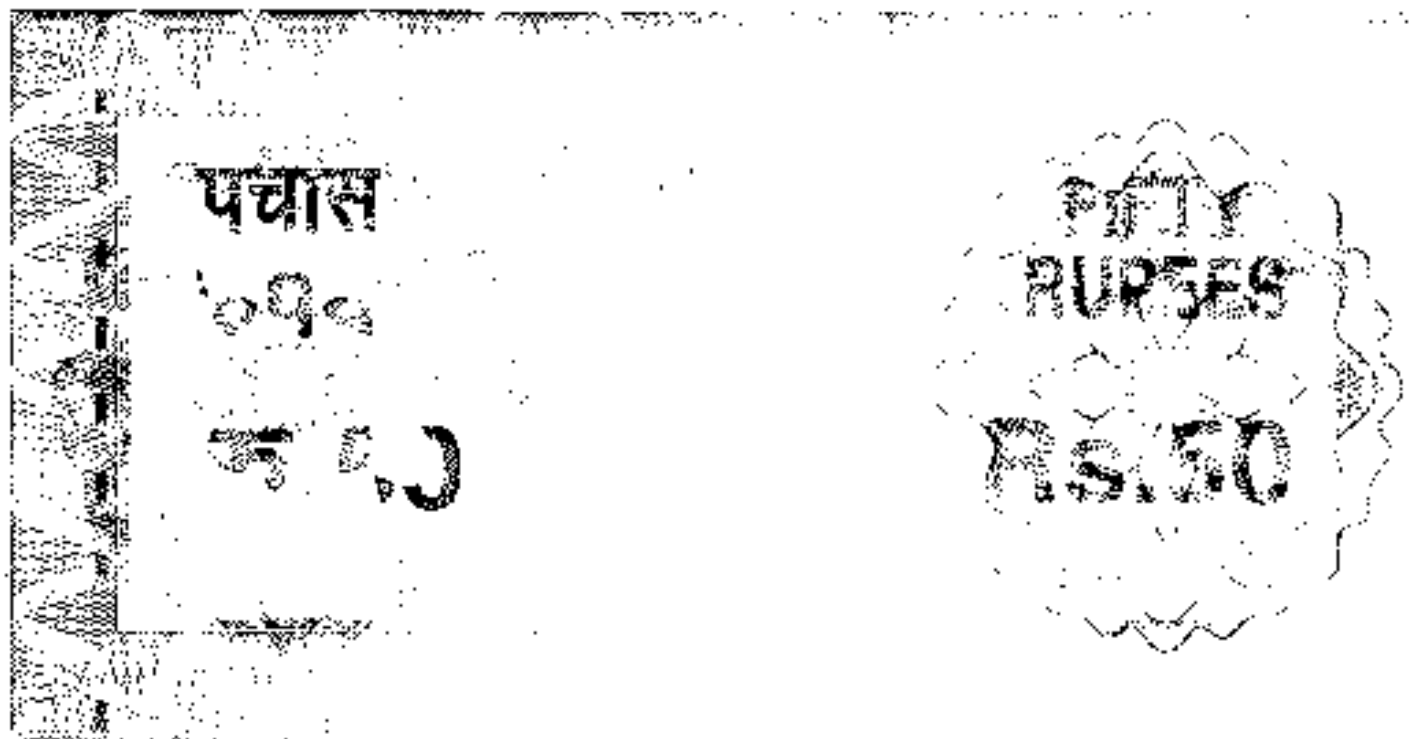
ਸ੍ਰੀ ਹੁਸ਼ੀਅਰ ਚਾਵੰਡਾ ਦਾ ਪਤਾ: ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ, ਭਾਰਤ (751001)। ਫੋਨ: 81-252232, 81-252232

..50..

ਦੇ ਜਾ

सदस्यता वरिष्ठ दादरी, गौतमबुद्धनगर

सदस्य वरिष्ठर दादरी, गौतमपुद्गमगर



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

LS 10379

-2-

प्रथम पक्ष की उक्त भूमि आज की तारीख तक हर प्रकार के कर्ज सरकारी व गैर सरकारी आदि से पाक व साफ है।

यह कि प्रथम पक्ष आज दिनांक को अपनी उक्त भूमि को द्वितीय पक्ष के पक्ष में विक्रय कर दिया है। जोकि सब रजिस्ट्रार कार्यालय में वही सं० के पुस्तक सं० पृष्ठ पर क्रम सं० पर दर्ज है।

प्रथम पक्ष उक्त विक्रय के फलस्वरूप सम्पूर्ण प्रतिफल की धनराशि द्वितीय पक्ष से प्राप्त कर लिये है। यह है कि प्रथम पक्ष को प्रतिफल धनराशि के अलावा उसके सम्पूर्ण हिस्से पर रुपए प्रति वर्गमीटर के हिसाब से रु०/- द्वारा चैक नं. दिनांक बैंक द्वितीय पक्ष द्वारा दिया जा रहा है जिसके फलस्वरूप निम्नलिखित शर्तों की पाबन्दी दोनों पक्षों व उनके वारिसान पर रहेगी।

1. यह कि विक्रीत भूमि की निर्धारित मूल्य धनराशि अंकन रुपए व उक्त भूमि पर उत्पन्न अन्य किसी भी अनुतोश लाभ या पुनर्वास हेतु आवंटित प्लॉट की एजेंडा में प्राप्त होने वाली धनराशि रु. प्रति वर्गमीटर के हिसाब से निर्धारित धनराशि दोनों पक्षों को मान्य है।

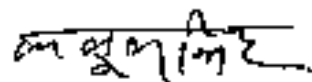
(Handwritten signature)

[illegible]

General

2. यह कि प्रथम पक्ष गौके पर कब्जा द्वितीय पक्ष को करा दिया है।
3. यह कि विक्रीत भूमि पर प्रथम पक्ष का कोई भी हक या अधिकार शेष नहीं रहा समस्त अधिकार द्वितीय पक्ष को प्राप्त हो गये हैं।
4. यह कि उक्त भूमि के सम्बन्ध में पुनर्वास योजना के तहत यदि भविष्य में किसी भी प्रकार के भूखण्डों का वितरण शासन या किसी निकाय द्वारा किया जाता है तो उस पर प्रथम पक्ष को कोई अधिकार नहीं होगा। समस्त अधिकार द्वितीय पक्ष के होंगे। इन अधिकारों के अंतरण हेतु प्रथम पक्ष ने द्वितीय पक्ष से रु. द्वारा चेक सं० दिनांक बैंक से प्राप्त कर लिये हैं।
5. यह कि प्रथम पक्ष का विक्रय के फलस्वरूप उक्त भूमि पर लगी फसल, नलकूप या किसी भी परिसम्पत्ति पर कोई अधिकार नहीं होगा।

अतः यह अनुबन्ध पत्र लिख दिया है ताकि भविष्य में काम आवे।



प्रथम पक्ष

द्वितीय पक्ष

गवाह नं० 1.

गवाह नं० 2.